न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्याः 25/2018 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्रीराम पुत्र रामचन्द्र बलाई निवासी मं.न. 210–ए पटेल नगर दादू दयाल नगर मानसरोवर जयपुर। 302020

...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर सत्यमेव जयते

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांकः 17.01.2019

निर्णय

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 20.08.2018 का आवेदन–पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर जयपुर को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया। अपीलांट का आवेदन पत्र में वर्णित सूचना जिला कार्यालय से संबंधित नहीं होने से अपीलांट का आवेदन पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरण राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को किया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 21.12.2018 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलांट स्वंय अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील मीमो का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2018 में अंकित वांछित सूचना/रिकार्ड यदि कार्यालय में संधारित है तो अपीलांट को निःशुल्क 15 दिवस में उपलब्ध करावे। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
अपीलीय अधिकारी,
अति.कलक्टर–प्रथम,जयपुर